अंक ५६ नई दिल्ली, अक्टूबर २०१४ [निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

श्री शत्रुजीत कपूर

श्री शत्रुजीत कपूर, पुलिस महानिरीक्षक रिवाड़ी रेंज, हरियाणा से पुलिसिंग संबंधित विभिन्न विषयों पर ज़ीनत मलिक द्वारा टेलिफोन पर लिये गये साक्षात्कार को आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री कपूर, २२ वर्षों के अपने कार्यकाल में पुलिस विभाग के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं – जैसे आई.जी. हिसार, कमिश्नर फरीदाबाद, एस.पी. हिसार, भिवानी और गुड़गांव। इसके अलावा सी.बी.आई. में भी ६ वर्षों के लिए इनकी प्रतिनियुक्ति थी। उन्होंने तेलगी जाली स्टाम्प केस आदि के जांच में पर्यवेक्षण भी किया तथा वर्तमान में भी २०१० से गृह मंत्रालय की सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के नोडल अफ़सर के अतिरिक्त दायित्व को संभाल रहे हैं।

आपके विचार में अच्छी और प्रभावपूर्ण पुलिसिंग की राह में आने वाली प्रमुख नीतिगत और व्यवहारिक बाधाएं कौन सी हैं ?

सबसे बड़ी बाधा यह है कि स्टाफिंग पॉलिसी ठीक नहीं है। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो आवश्यक कौशलों के आधार पर नियुक्ति होती है लेकिन पुलिस में यह संरचनात्मक समस्या है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि किसी सूपर स्पेश्यालिटी अस्पताल में आप सामान्य एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों की ही भर्ती नहीं कर सकते इसके उर्पयुक्त परिणाम नहीं आएंगे, उसके लिए एम.डी., एम.एस. जैसे डॉक्टर होने चाहिए। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे विभाग में जहां बेमेल भर्ती की जा रही है। ६० प्रतिशत तक स्टाफ १०वीं और १२वीं पास हैं और उनसे हमें कानूनों का पालन कराना है जबकि उनके पास आवश्यक कौशल ही उपलब्ध नहीं है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह ऐसी नहीं है कि उन्हें अच्छी तरह तैयार कर सके। हमारे यहां जो वेतन ६ - ७ हजार का प्रारम्भिक वेतन दिया जाता है उसमें जो लोग हमें मिलेंगे वह १०वीं और १२वीं पास होंगे। इन्हें किशोर न्याय, बाल यौन शोषण के विरुद्ध कानून या फिर घरेलू हिंसा से सुरक्षा जैसे कानूनों को लागू कराना होता है जबकि, वह इसके लिए सक्षम नहीं हैं। इसके लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनका आई.क्यू. लेवल और शैक्षणिक योग्यता बुनियादी स्तर से अधिक हो। हमारे कानून इतने अच्छे हैं जितने कि किसी भी विकसित पश्चिमी देश के कानून लेकिन उन्हें लागू करने वाले लोगों को इसकी समझ ही नहीं है। हमें एल.एल.बी., बी.एस.सी, एम.एस.सी., चाहिए लेकिन इस आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया। हमें फोरेंसिक साईंस के जानकारों की आवश्यकता होती है, जो निर्धारित वेतन आदि हैं उतने में इस स्तर के लोग नहीं मिल पाएंगे।

यह बेमेल संगठनात्मक संरचना इस प्रकार बनाई गई ही थी। अंग्रेज़ों ने यह संरचना पुलिस कानून के अंतर्गत तब बनाई थी जब उन्हें १८५७ के अंतर्गत हुए विद्रोह को रोकना था। यह पुलिस आयोग के प्रथम रिपोर्ट में दर्ज है। अंग्रेजों ने बुनियादी तौर पर उस समय के उत्तरी आयरलैंड के आधार पर बनाई जहां विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने पुलिस संगठन को बनाया था। प्रारम्भ से ही हमारी पुलिस के गठन का मकसद जनता को कोई अच्छा कानून लागू कराने के लिए एजेंसी उपलब्ध कराना था ही नहीं, पुलिस का गठन केवल १८५७ के विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था।

हालांकि, कई आयोग हैं जिन्होंने पुलिस की समस्याओं को उजागर किया है और सुझाव दिये हैं। लेकिन, समस्या राजनैतिक ईच्छाशक्ति में कमी की है जिस कारण इनका पालन नहीं किया गया है। अभी जो पुलिस सुधार के बारे में जो उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है उसमें से कुछ भी नहीं रखा था अंग्रेजों ने। अभी यह भी समझने की आवश्यकता है कि जो नित नये कानून बनाये जा रहे हैं और जिन लोगों को इसे लागू कराना है क्या उन्हें वह समझ भी आ रहा है।

एक और बड़ी समस्या हमारे पुलिस नियुक्तियों में है कि चयन प्रक्रिया में कहीं भी उचित प्रकार के रुझान की जांच नहीं की जाती है। यहां तक कि सिविल सेवा परीक्षओं में भी आधे घंटे के साक्षात्कार में आप किसी के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में कैसे आकलन कर सकते हैं, वह केवल बाहरी आउटलुक को देखने के लिए ही रहता है। जबकि, सेना में चयन के लिए वह एक सप्ताह तक उम्मीदवार को बुलाकर रखते हैं, तरह–तरह के रोल प्ले करवाते हैं और इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूपरेखा की जांच बाद ही यह निर्णय होता है कि वह उक्त पद के लिए आवश्यक रुझान रखता है या नहीं। अगर वह इसमें सफ़ल होता है तभी उसे लिया जाता है अन्यथा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लिखित परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किये हैं।

यदि मुझे अवसर मिले तो मैं जॉब विवरण के अनुसार बेस्ट फिट प्रत्याशी को ही भर्ती करूं और इसमें रुझान जांच अनिवार्य रूप से रखुं। कम से कम डी.एस.पी. स्तर पर और सब–इंस्पेक्टर स्तर पर तो ऐसा अवश्य ही करना चाहिए।

वर्ष २००६ में, उच्चतम न्यायालय ने *प्रकाश सिंह के केस* में पुलिस सुधार के लिए कुछ निर्देश दिये थे जिसे सभी राज्यों को लागू करना था। आपके विचार में यह निर्देश किस प्रकार बेहतर पुलिसिंग ला सकते हैं ?

उच्चतम न्यायालय के निर्णय में २-३ चीज़ें हैं। एक तो, जो डी.जी.पी. की कार्य अवधि २ वर्षों के लिए होनी थी वह नहीं हुई है। लेकिन, हमने हरियाणा में कई चीज़ें की हैं। हमने, हरियाणा पुलिस नियमावलि बनाकर उसमें जांच का एक अलग कैडर बना दिया है। उसके लिए हमने जॉब विवरण में ही लॉ ग्रेजुऐट, बी.एस.सी., एम.एस.सी. की योग्यता निर्धारित कर दी है। अब वह जो ग्रुप आएगा उस एक कैडर को जिसे हमने 'हरियाणा स्टेट इंवेस्टिगेशन कैडर' का नाम दिया है, उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सरकार उचित वेतनमान दे सकती है। हांलाकि, अभी यह लागू नहीं हुआ है जब सरकार इसे पास कर देगी तो वह पद बनाने पड़ेंगे और इसमें हमने पदोन्नति के बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध कराए हैं – वे एस.एच.ओ. भी लगेंगे, डी.एस.पी. और आई.पी.एस. तक जा सकेंगे। जब इस ग्रुप के लिए अच्छा वेतनमान होगा तो विधि स्नात्तक आकर्षित होंगे। फिर जब वह अदालत में किसी केस की सुनवाई में उपस्थित होंगे तो उनका आत्म विश्वास और ज्ञान का स्तर दूसरे वकीलों और जज से बेमेल नहीं होगा। इसका साकारात्मक परिणाम केस को होगा और साथ ही जांच की गुणवत्ता बहुत बेहतर हो जाएगी क्योंकि विधि के ज्ञान से हर कानून की उचित समझ उनमें पहले से विद्यमान होगी।

हर थाने के स्तर पर जांच के लिए एक अलग से छोटा संलग्न ग्रुप होगा और वह एस.पी. के अधीन ही होगा।

इसके अलावा हमने एक और काम यह किया कि प्रत्येक ज़िले के स्तर पर एक लीगल सेल का प्रस्ताव बनाया जिसे मैंने पहले रिवाड़ी ज़िले के लिए भेजा और बाद में बाकी ज़िलों ने भी इसे अपनाया है। इसके अंतर्गत एस.पी. कार्यालय में ५-६ वकीलों का एक ग्रुप होगा जो प्रत्येक केस फ़ाईल का अध्ययन करके उचित कार्यविधि पर अपना मत देंगे – चाहे वह गिरफ़्तार करना हो या कोई और जांच की दिशा तय करनी हो। अगर गिरफ़्तार करना है तो वे उपलब्ध सबूतों की छानबीन करके यह बतलाएंगे कि इसकी कानूनी आवश्यकता है या नहीं। अगर है तो ज़िले का एस.पी. ऐसा करने के लिए मौखिक आदेश जारी करेगा। अगर गिरफ़्तारी की आवश्यकता नहीं है तो वह यह लिख देंगे कि बगैर गिरफ़्तारी के आरोप पत्र दायर कर दें। जबकि, अभी तो पुलिस को केवल यह समझ आता है कि एफ.आई.आर. है तो गिरफ़्तारी करना है। वह सच है या झूठ इससे कोई सरोकार नहीं है और इसका परिणाम यह है कि एफ.आई.आर. होना ही दण्ड सिद्ध हो जाता है, जबकि कानून का लक्ष्य यह नहीं है। अब यह प्रस्ताव सरकर के पास हुआ है जब भी इसे सरकार पास करेगी यह बहुत प्रभावकारी होगा।

इसके अलावा, हमारे अधिकांश ज़िलों में शिकायत प्राधिकरण के गठन के लिए भी स्वीकृति मिल गई है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही प्राधिकरण के गठन करने का मसौदा तैयार किया गया है, मैं भी इस आलेखन समिति में शामिल था। सबसे अहम यह है कि यदि डी.जी.पी. अच्छे हों तो दूसरी कई चीज़ें स्वंय ही ठीक हो जाती हैं।

हस्तांतरण वाला निर्देश लागू नहीं किया गया है और जो कार्य अवधि को निश्चित करने की बात थी, वह भी २ वर्षों के बजाय १ वर्ष के लिए ही निश्चित किया गया था लेकिन उसे भी व्यवहारिक नहीं बनाया गया है।

आपके विचार में थाना स्तर पर सर्विस डिलिवरी में सुधार लाने के लिए क्या किये जाने की आवश्यकता है ?

पुलिस का प्रमुख संसाधन है – मानव संसाधन उसका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पुलिस का जो बजट है उसका तकरीबन ९७ प्रतिशत वेतन पर खर्च होता है। केवल ३ प्रतिशत ही आधुनिकीकरण, तकनीक आदि पर खर्च किया जाता है। इसके कारण थाना स्तर पर पुलिस की कार्यस्थिति अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए

शेष भाग पृष्ठ २ पर.....

बूझो और जीतो-३४

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड के अंतर्गत, हमने जून २०१४ से इस प्रतिस्पर्धा को और अधिक रोचक और विशिष्ट बनाने के लिए, इसे एक खास विषय पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया था। और, इस बार का विषय है "ज़मानत"। सभी प्रश्न इसी से संबंधित हैं। आशा है, आपको यह पद्धति पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या गिरफ़्तारी करते समय आरोपी को ज़मानत प्राप्त करने के अधिकार के बारे में बताना आवश्यक है ?

२. क्या ज़मानती अपराध में ज़मानतदार (surety) लाने में असमर्थ होने पर या निर्धन होने के कारण, आरोपी को ज़मानत देने से मना किया जा सकता है ?

३. व्यक्तिगत बंधपत्र क्या है ?

४. जांच के दौरान गवाहों द्वारा आरोपी की शिनाख्त की ज़रूरत होने के आधार पर क्या उसकी ज़मानत नामंज़ूर की जा सकती है ?

५. क्या किसी गैर ज़मानती अपराध में, ज़मानत पर रिहा होना आरोपी का अधिकार भी हो सकता है ? यदि 'हां' तो किन परिस्थितियों में?

बूझो और जीतो – ३१ का परिणाम

जूलाई २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. हां, यह जरूरी है कि गिरफ़्तारी करते समय पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ़्तारी का कारण भी बताए। संविधान के अनुच्छेद २२(१) के अंतर्गत यह आरोपी का मौलिक अधिकार है तथा द.प्र.सं. की धारा ५०(१) के अंतर्गत भी अपराध का पूरा ब्योरा और गिरफ़्तारी का आधार बताना अनिवार्य है।

२. नहीं, द.प्र.सं. की धारा ४६(३) और ४९ के अनुसार ऐसा करना गैर कानूनी होगा। क्योंकि, किसी व्यक्ति को यदि कथित अपराध का दण्ड मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास नहीं है तो उसकी जान लेने का अधिकार कानून नहीं देता। चोरी का दण्ड ३ - ७ वर्षों तक का कारावास और जुर्माना है, इसलिए छाती पर गोली चलाना अनावश्यक अवरोध उत्पन्न करने का प्रयत्न और जान बूझकर हत्या करने की हरकत होगी।

३. द.प्र.सं. की धारा ४१ में कहा गया है कि गिरफ़्तार करने वाला पुलिस अधिकारी, गिरफ़्तारी के समय अपने नाम का बिल्ला इस प्रकार पहने रहे कि उसकी पहचान आसानी से हो सके। साथ ही, उसे एक मेमो भी तैयार करना होगा जो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित होगा जो या तो आरोपी के परिवार का सदस्य हो या क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और इस मेमो पर आरोपी के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इसके बाद आरोपी के परिवार को भी सूचित करना होगा।

धारा ४६ के अनुसार गिरफ़्तारी के समय अधिकारी, आरोपी के शरीर को छू कर उसे अपने कब्ज़े में लेगा यदि उसने स्वंय को पुलिस के हवाले नहीं किया हो। अगर वह गिरफ़्तारी में रुकावट डाले तो आवश्यक बल का प्रयोग भी किया जा सकता है।

४. हां, द.प्र.सं. की धारा ४१(१) के प्रतिबंध के अनुसार, यह अनिवार्य नहीं है कि हर संज्ञय अपराध में आरोपी की गिरफ़्तारी की जाए। पुलिस अधिकारी आरोपी को गिरफ़्तार न करने के कारण को दर्ज करके ऐसा नहीं भी कर सकता है।

५. हां, द.प्र.सं. की धारा ४९ एक पुलिस अधिकारी को अधिकृत करती है कि वह किसी आरोपी को गिरफ़्तार करने के लिए अपने थाने के अलावा भारत के किसी भी थानाक्षेत्र में प्रवेश करके आरोपी की गिरफ़्तारी कर सके।

विजेता :

इस अंक में हमें प्राप्त प्रविष्टियों में से किसी के भी सभी उत्तर सही नहीं थे। इसलिए, इस अंक में कोई भी विजेता नहीं होगा।

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
चौथी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-१६
फोन: ९१ ११ ४३१०८००, ४३१८०२२५
फैक्स: ९१ ११ २६८६४६८८
ई-मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

पुलिस समृति दिवस और पुलिस सुधार

इस वर्ष पुलिस समृति दिवस (२१ अक्तूबर) पर विभिन्न पुलिसबलों के लगभग एक हज़ार शहीद याद किये जायेंगे। एक ओर कर्तव्य वेदी पर प्राणों की आहुति की वार्षिक रस्म अदायगी देश की तमाम पुलिस यूनिटों में हो रही होगी और दूसरी ओर पुलिस छवि को लेकर समाज में मिश्रित कुंठाएं भी ज्यों का त्यों बनी रहेंगी। पुलिस की पेशेवर क्षमता को लेकर जनमानस में धारणा रही है कि पुलिस चाहे तो कैसा भी अपराध रोक दे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्थता पर काबू पा ले। ऐसी सकारात्मक लोक छवि और अनवरत बलिदानी परम्परा के बावजूद, संवैधानिक मूल्यों पर खरी उतरने वाली नागरिक–संवेदी पुलिस का माडल भारतीय लोतंत्र नहीं गढ़ पाया है।

इस सम्बन्ध में स्वंय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में *प्रकाश सिंह के मामले* में पुलिस सुधार की कवायद भी विशेष मददगार सिद्ध नहीं होने जा रही है। २२ सितम्बर २००६ के सम्बन्धित निर्णय में निर्देशित सुधार आधुनिक पुलिस के लिए आवश्यक होने के बावजूद राज्य सरकारें इसे लागू करने में रुचि नहीं रखतीं। दूसरे, ये सुधार भी आम नागरिक के लिए असंगत पुलिस सॉफ्टवेयर को बरायनाम ही छू पाएंगे। दरअसल, पुलिस सुधार को प्रशासनिक रस्साकशी तक सीमित रखे जाने से 'अच्छी पुलिस' की राह में मुख्य समस्या राजनीतिकों और नौकरशाहों के नकारात्मक रवैये के रूप में चिन्हित की जा रही है। जबकि, ज़मीनी सच्चाई यह है कि औपनिवेशिक जड़ोवाली समाज–निरपेक्ष पुलिस, बेशक कितनी भी सक्षम क्यों न बना दी जाय, लोकतांत्रिक ढाँचे में नहीं खप सकती। पुलिस सुधार की लम्बी मुहिम का पटाक्षेप भी अंततः पुलिस के बदनाम हार्डवेयर को ही चमकाने की दिशा में कार्यरत है तो चतुर्दिक निराशा स्वभाविक है।

प्रकाश सिंह केस में १० वर्ष में आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रमुख जोर, पुलिस कमीशन की तर्ज पर, पुलिस को राजनीति एंव नौकरशाही के बेजा दबावों से मुक्त करने और उसकी कामकाजी स्वायत्ता को बाह्य निगरानी के अपेक्षाकृत व्यापक उपकरणों से संतुलित करने पर केन्द्रित रहा। वैसे इन निर्देशों की, कुछ हद तक केरल को छोड़कर, तमाम राज्यों और केंद्र ने भी अब तक छद्म पालना ही की है।

सर्वविदित है कि पुलिस के कामकाजी वातावरण में सत्ताधारियों के प्रति वफादारी दिखाना कहीं अधिक जरूरी बन गया है बनिस्बत कानून के प्रति एकनिष्ठ समर्पण रखने के। बजाय स्वंय को समाज की शान्ति और सुरक्षा के प्रति जवाबदेह सिद्ध करने के पुलिस को बेहिचक प्रभाव व पैसे का मतलब साधते देखा जा सकता है। मानव अधिकारों का नियमित हनन करने के आरोपों से घिरी राज्य की इस निर्णायक एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भ्रष्टाचार, संकीर्णता, मनमानी और क्रूरता के गहरे प्रश्नचिन्ह हैं, जिनके समाधान में आंतरिक एंव बाह्य निगरानी की तमाम परतें अप्रभावी सिद्ध हुयी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का पुलिस सुधार मुख्यतः स्वायत्ता, जवाबदेही और लोकोन्मुखता के पांच बिन्दुओं पर केन्द्रित है। माना गया कि डी.जी.पी./आई.जी.पी./एस.पी/एस.एच.ओ. की दो वर्ष की निश्चित तैनाती और डी.जी.पी. व चार अन्य वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों के एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड को उप पुलिस अधिक्षक स्तर तक के तबादलों का अधिकार, पुलिस की स्वायत्ता को मजबूत कर उसे बाहरी दबावों से मुक्त रख सकेंगे। पुलिस को कानूनी चौहद्दी में रखने के लिए स्टेट पुलिस कमीशन और पुलिस कम्पलेंट्स अथॉरिटी की अवधारणा लाई गयी। यह कहा गया कि हर राज्य नए सिरे से लोकोन्मुख पुलिस एक्ट बनाये। कागज पर एक शानदार कवायद, पर व्यवहार में 'नयी बोतल में पुरानी शराब' से ज्यादा कुछ नहीं!

स्पष्टतः न केवल उपरोक्त उपकरणों के गठन और कार्य संस्कृति में सरकारों की ही निर्णायक भूमिका होगी। अनुभवसिद्ध है कि दो वर्ष की स्वायत्ता के लिए पुलिसकर्मी अपना पैंतीस वर्ष का सेवाकाल और सेवा–उपरान्त फायदा दांव पर नहीं लगाएगा। सुधारों में दो महत्वपूर्ण लोकोन्मूखी अनुशंसाएं – कम्युनिटी पुलिसिंग और कानून व्यवस्था का अनुसन्धान कार्य से अलगाव भी इंगित हैं पर उन्हें तो कोई भी पुलिस यूनिट बिना अदालती आदेश का सहारा लिए और राजनीतिक कोपभाजन की चिंता किये, स्वतः भी लागू कर सकती है। असल सवाल है पुलिस के नागरिक संवेदी होने का?

लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक सत्ता का पूर्ण नकारना न संभव है और न सर्वोच्च न्यायालय समेत पुलिस सुधार पर केन्द्रित किसी भी कमीशन/ कमेटी का ऐसा मत रहा है। हमें समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक पुलिस सुधार का क्रियाशील आधार हो सकता है न कि समाज–निरपेक्ष पुलिस स्वायत्ता। एक संवेदी एंव लोकोन्मुख कानून–व्यवस्था, पुलिस के वर्तमान कामकाजी सम्बन्धों के अंतर्गत ही, प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से हासिल कर पाना संभव नहीं होगा। दुनिया का यही सबक है – मजबूत समाज अपनी पुलिस की इज्जत करता है और उसे सहयोग देता है; कमज़ोर समाज पुलिस को अविश्वास से देखता है और प्रायः उसे अपने विरोध में खड़ा पाता है।

भारत जैसे कमजोर लोकतंत्र में, विशेषकर राजनीतिक वर्ग के व्यापक लम्पटीकरण के चलते पुलिस सुधार एक बेहद जटिल कवायद है। इस क्षेत्र में, व्यवहार के धरातल पर आज एक त्रिधापाश (ट्राईलेमा) की स्थिति बनती है। यानी पुलिस व्यवस्था की तीन संभावित स्थितियों में से कोई भी या तो कारगर नहीं है या संभव नहीं है। दरअसल, पुलिस, सत्ता प्रतिष्ठान और जनता में से एक समय में दो का मिलान ही संभव हो पा रहा है। जबकि 'अच्छी पुलिस' समीकरण के लिए तीनों का मिलान चाहिए जो एक मजबूत लोकतंत्र में ही स्वाभाविक है। इन त्रिधापाशी अंतर्संबधों को इस प्रकार समझा जा सकता है –

१. त्रिधापाश की पहली स्थिति (सत्ता प्रतिष्ठान और उससे संचालित पुलिस का गठजोड़) के अंतर्गत ही आज पुलिस काम कर रही है। सत्ता प्रतिष्ठान के चंगुल में होने से पुलिस की प्रवृत्ति है कि वह सत्ताधारियों के साथ कदमताल करे। इस समीकरण में जनता पुलिस के फोकस से बाहर हो जाती है।

२. दूसरी स्थिति (स्वायत्त पुलिस और जनता एक साथ) पर पुलिस सुधार की वर्तमान कवायद आधारित है। यह पुलिस को किसी हद तक सत्ता प्रतिष्ठान से मुक्त करने की कोशिश है। साथ ही उसे बाहरी निगरानी से संतुलित रखने की परिकल्पना भी इसमें है। पर यहाँ भी न पुलिस के नागरिक–संवेदी होने की पूर्वशर्त है और न ही उसकी कार्यप्रणाली में जनता की कोई भूमिका है। यह दिखावटी सुधारों की ही स्थिति है, जैसा कि कई राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय की अनुपालना में पारित नए पुलिस अधिनियमों से जाहिर है।

३. भारतीय समाज में लोकतंत्र इतना सशक्त नहीं है कि त्रिधापाश का तीसरा विकल्प संभव हो, जिसके अंतर्गत सत्ता प्रतिष्ठान को हर हाल में जनता से एकाकार बैठाना पड़े। उस हालत में पुलिस का स्वरूप व कार्यप्रणाली भी इस आदर्श समीकरण के अनुरूप ही स्वाभाविक विकसित होते। यानी तब 'अच्छी पुलिस' सत्ता प्रतिष्ठान के एजेंडे पर भी उसी तरह होगी जैसे जनता के एजेंडे पर। यह विकल्प 'संवेदी पुलिस–सशक्त समाज' की अवधारणा पर आधारित होगा। संवेदी पुलिस से अर्थ है संवैधानिक मूल्यों वाली लोकतांत्रिक पुलिस और सशक्त समाज की कसौटी है कि लोगों को हक/हर्जाना स्वतः व समयबद्ध मिले। फिलहाल ये दोनों मुद्दे नदारद हैं – 'संवेदी पुलिस', पुलिस प्रशिक्षण से और 'सशक्त समाज', राजनीतिक प्राथमिकता से।

स्पष्ट है कि त्रिधापाश की पहली स्थिति में तो न कहीं संवेदी पुलिस है और न ही सशक्त समाज, जिस वजह से आज पुलिस–व्यवस्था समाज में एक विकट समस्या बनी हुई है। तीसरी स्थिति एक आदर्श स्थिति है जिसके लिए 'संवेदी पुलिस–सशक्त समाज' को फास्ट फारवार्ड करना होगा, जो वांछित राजनीतिक इच्छाशक्ति और पुलिस प्रशिक्षण के बिना मुमकिन नहीं। जबकि दूसरी स्थिति पर पुलिस सुधार की वर्तमान मुहिम केन्द्रित है, हालांकि यहाँ भी 'संवेदी पुलिस–सशक्त समाज' का रोडमैप नदारद है।

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि कानून व्यवस्था को लेकर हाय–तौबा मचाने वाले राजनीतिक दलों ने पुलिस सुधार को चुनावी मुद्दा बनाना जरूरी नहीं पाया है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय में भी पुलिस अधिकारियों और उच्च न्यायपालिका की जकड़ हावी है, न कि जनता के अधिकार। राजनीति और नौकरशाही के गठबंधन ने इस बीच राज्यवार नए पुलिस अधिनियम लाकर इन सुधारों से अपने बुनियादी स्वार्थों के भरसक संतुलन का सिलसिला चला रखा है। रही आम नागरिक की स्थिति तो वह इन 'सुधारों' के दौर में भी जस की तस है। दरअसल, पुलिस सुधार की कवायद में लोकतांत्रिक पुलिस

क्या आप जानते हैं?

इस खंड में हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस मुठभेड़ों में मृत्यु और गंभीर चोट के केसों में आवश्यक प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री आर. एम. लोधा और न्यायाधीश श्री रोहिनतम नरिमण फाली के खण्डपीठ द्वारा जारी निर्देशों को आपकी जानकारी के लिए ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप पुलिसकर्मियों के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगी।

पुलिस मुठभेड़ों में उचित प्रक्रिया निर्धारण

पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरटिज़ व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, क्रि.अ.न. १९९९ का १२५५ केस की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने २३ सितंबर २०१४ को, पुलिस द्वारा एनकाउंटर के दौरान किसी मृत्यु या गंभीर चोट की स्थिति में उचित और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए निर्देश जारी किया। इन निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद १४४ के अंतर्गत कानून माना जाएगा –

१. जब कभी भी पुलिस को आपराधिक गतिविधियों की या गंभीर अपराध की कोई खुफ़िया सूचना प्राप्त होती है या उन्हें आगाह किया जाता है, इसे किसी भी रूप में लिखा जाए। बेहतर हो कि केस डायरी में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार लिखते समय संदिग्ध के बारे में या पार्टी कहां जा रही है, विस्तारपूर्वक लिखना आवश्यक नहीं है। अगर ऐसी खुफिया सूचना या सुराग वरिष्ठ अधिकारी को हो तो, इसे किसी रूप में बगैर संदिग्ध या स्थान की जानकारी को विस्तारपूर्वक प्रकट किये बगैर दर्ज किया जा सकता है।

२. जैसा कि ऊपर बताया गया है यदि किसी सुराग या सूचना के कारण एनकाउंटर होता है और पुलिस पार्टी द्वारा गोली चलाई जाती है और इसके परिणामस्वरूप मृत्यु होती है, इसके बारे में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाएगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५७ के अंतर्गत उसे अदालत में भेजा जाएगा। संहिता की धारा १५८ के अंतर्गत रिपोर्ट भेजते समय, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५७ का अनुसरण किया जाएगा।

३. वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण में (एनकाउंटर में पुलिस पार्टी का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी से कम से कम एक स्तर बड़ा अधिकारी), घटना/एनकाउंटर की सी.आई.डी. या दूसरे थाने की पुलिस टीम द्वारा स्वतंत्र जांच कराई जाएगी। जांच/इंक्वायरी करने वाली टीम कम से कम निम्न बिंदुओं को देखेगी :

(क) पीड़ित को पहचानना, पीड़ित का रंगीन फोटो लिया जाना चाहिए,

(ख) सबूत से जुड़ी सामग्रियों की उगाही करना और उन्हें संरक्षित करना जिसमें मृत्यु से जुड़े खून के धब्बों वाली ज़मीन, बाल, फाईबर और धागे आदि सम्मिलित हों,

(ग) घटनास्थल के गवाहों को उनके पूरे नाम, पते और फोन नंबरों के साथ पहचानना और मृत्यु के संबंध में उनकी गवाही लेना (जिसमें सम्बद्ध पुलिसकर्मियों के बयान भी सम्मिलित हैं),

(घ) मृत्यु का कारण, ढंग, स्थान (जिसमें घटनास्थल का कच्चा स्केच तैयार करना और यदि सम्भव हो, घटनास्थल और भौतिक सबूतों की फोटो/वीडियो तैयार करना सम्मिलित है), मृत्यु का समय और ऐसी कोई पद्धति या प्रचलन जिसके कारण मृत्यु हुई है,

(ङ) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मृतक के इंटैक्ट फिंगरप्रिंट्स को कैमिकल विश्लेषण के लिए भेजा जाए। अन्य किसी भी फिंगर प्रिंट का पता लगाया जाना चाहिए, विकसित किया जाना चहिए और कैमिकल विश्लेषण के लिए भेजा जाना चाहिए,

(च) पोस्ट मार्टम दो डॉक्टरों द्वारा ज़िला अस्पताल में किया जाना चाहिए, जहां तक सम्भव हो सके उनमें से एक ज़िला अस्पताल का इंचार्ज होना चाहिए। पोस्ट–मार्टम की वीडियोग्राफ़ी होनी चाहिए और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए,

(छ) मृत्यु के कारण का पता लगाया जाना चाहिए, क्या यह प्राकृतिक मृत्यु थी, आकस्मिक, आत्महत्या या हत्या थी।

४. संहिता की धारा १७६ के अंतर्गत हमेशा मृत्यु के सभी केसों में मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी की जानी चाहिए जिसमें मृत्यु पुलिस फायरिंग के दौरान होती है और इसके अंतर्गत अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को धारा १६० के अंतर्गत रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

५. एन.एच.आर.सी. के हस्तक्षेप की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कि जांच की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच पर गंभीर संदेह हो। हालांकि, इस घटना की सूचना किसी प्रकार के विलंब के बगैर एन.एच.आर.सी. या एस.एच.आर.सी. जो भी उचित है, उसे भेजी जानी चाहिए।

६. घायल अपराधी/पीड़ित को तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए और मजिस्ट्रेट या मेडिकल अफ़सर द्वारा फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ उसका बयान भी दर्ज होगा।

७. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित अदालत में एफ. आई.आर., डायरी इंट्री, पंचनामा, स्केच आदि भेजने में कोई विलंब न हो।

८. घटना में पूरी जांच के बाद, द.प्र. सं. की धारा १७३ के अंतर्गत रिपोर्ट अधिकार क्षेत्र वाले अदालत में भेजी जानी चाहिए। जांच अधिकारी द्वारा जमा किये गये आरोप पत्र के अनुसार मुकदमे को अति शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए।

९. मृत्यु की स्थिति में, कथित अपराधी/पीड़ित के निकटतम संबंधी को शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए।

१०. पुलिस महानिदेशकों द्वारा पुलिस की फायरिंग में हुई मृत्यु के सभी केसों का ब्योरा हर छः महीने में एन.एच.आर.सी. को भेजा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह अर्द्ध–वार्षिक ब्योरा क्रमशः १५ जनवरी और १५ जुलाई तक एन.एच. आर.सी. में पहुँच जाए। ब्योरा निम्नलिखित प्रारूप में पोस्टमार्टम, इंक्वेस्ट और जहां उपलब्ध हो इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ भेजा जाना चाहिए :–

(i) घटना की तारीख़ और स्थान
(ii) थाना, ज़िला
(iii) मृत्यु होने की परिस्थिति
(क) एनकाउंटर में आत्मरक्षा
(ख) गैरकानूनी सभा को हटाते हुए
(ग) गिरफ़्तारी पूरी करते समय

(iv) घटना का संक्षिप्त तथ्य
(v) आपराधिक केस संख्या
(vi) जांच एजेंसी
(vii) मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इंक्वायरी का निष्कर्ष :

(क) विशेषकर, यदि पुलिस अधिकारी मृत्यु के लिए ज़िम्मेदार पाये जाते हैं, उनके नाम और पद को स्पष्ट करना,
(ख) क्या बल का प्रयोग न्यायसंगत था और की गई कार्यवाही वैधानिक थी।

११. अगर जांच के निष्कर्ष में दर्ज सामग्रियों/सबूत यह दर्शाते हैं कि मृत्यु पुलिस द्वारा बन्दूक के उपयोग से हुआ है जो भ.द.सं. के अंतर्गत अपराध है, ऐसे अधिकारी के विरुद्ध तुरंत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जानी चाहिए और उसे निलंबित किया जाना चाहिए।

१२. जहां तक पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुए व्यक्ति के आश्रितों को मुआवज़ा देने की बात है, इसके लिए संहिता की धारा ३५७ क में दी गई स्कीम को लागू किया जाना चाहिए।

१३. संबंधित पुलिस अधिकारी को उसके हथियार के फौरेंसिक और बैलिस्टिक जांच के लिए समर्पण कर देना चाहिए, इसमें कोई अन्य सामग्री भी शामिल हो सकती है जबकि ऐसा करते समय संविधान के अनुच्छेद २० के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

१४. पुलिस अधिकारी के परिवार को भी इस घटना की सूचना दी जानी चाहिए और यदि परिवार को वकील/परामर्श जैसी सेवाओं की आवश्यकता हो तो उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

१५. घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारी को कोई असमय पदोन्नति और वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यह हर क़ीमत पर और आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे पुरस्कार केवल तब दिये जाएं/सिफ़ारिश की जाए जब संबंधित अधिकारी की वीरता निःस्संदेह स्थापित हो जाती है।

१६. अगर पीड़ित के परिवार को लगता है कि उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है या किसी प्रकार से शक्तियों का ी भी दुरुप्योग किया गया है या उपरोक्त उल्लेखित किसी भी पदाधिकारी द्वारा जांच में स्वतंत्रता और निष्पक्षता की कमी रही है, वह उस स्थान के अधिकार क्षेत्र वाले सत्र न्यायाधीश के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी शिकायत पर, संबंधित सत्र न्यायाधीश शिकायत की गुणवत्ता की जांच करेंगे और कष्ट का निराकरण करेंगे।

१७. जहां तक सम्भव हो, उपरोक्त दिशा–निर्देश, पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान गंभीर चोट के केसों में भी लागू होंगे।

१८. हम निर्देश देते हैं कि पुलिस मुठभेड़ों में मृत्यु और गंभीर चोट के केसों में पुलिस द्वारा उपरोक्तानुसार इसे भारत के अनुसंधान के अनुच्छेद १४४ के अंतर्गत घोषित कानून मानते हुए आवश्यकताओं/मानकों का पालन किया जाना चाहिए।

– प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

महोदया,

प्रणाम!

लोक पुलिस पत्रिका विभाग के कर्मचारियों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक एंव लाभदायक पत्रिका है। इस पत्रिका का प्रत्येक संस्करण एंव इसमें प्रकाशित वरिष्ठ अधिकारियों के जो इण्टरव्यू पेश किये जाते हैं, उससे पुलिस विभाग तथा पुलिसिंग करने वाले कर्मचारियों/ अधिकारियों की कार्यप्रणाली के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि आपके द्वारा अपनी पत्रिका में कानून से सम्बन्धी सभी शब्दों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है। बूझो और जीतो प्रतियोगिता में पूछे गये प्रश्न पुलिस विभाग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये बहुत लाभदायक एंव परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु सहायक हैं। इस पत्रिका के माध्यम से सम्पूर्ण देश की पुलिसिंग की जानकारी के साथ–साथ कानून–व्यवस्था में हुए संशोधनों की अध्यावधिक जानकारी भी प्राप्त होती है।

महोदया यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान समय में देश के सभी राज्यों में सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें Core Application Software से डाटा का ऑनलाईन एंव ऑफलाईन पंजीकरण किया जा रहा है, जो अपराधियों एंव उनके द्वारा किये गये अपराधों से सम्बन्धित सभी जानकारियों से ऑनलाईन देश के सभी राज्यों / ज़िलों / कार्यालयों/ थानों को जोड़ने में सहायक हो रहा है। इस प्रोजेक्ट से सम्बन्धित इण्टरव्यू भी पत्रिका में सम्मिलित किया जाये और साईबर क्राईम से सम्बन्धित जानकारी भी हमें प्राप्त होती रहे।

धन्यवाद!

मुकेश गैरोला
पुलिस कार्यालय, पोड़ी
जनपद, पोड़ी, गढ़वाल
उत्तराखण्ड

पुलिस समाचार – हर कोने की हलचल

महिला को लगातार मिस्ड कॉल भी 'स्टॉकिंग' है!

बिहार में किसी महिला को बार–बार मिस्ड कॉल देने वाले व्यक्ति को सलाख़ों के पीछे जाना पड़ सकता है।

दरअसल, सी.आई.डी. आई.जी. (कमज़ोर वर्ग) अरविंद पांडे ने २३ सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी ज़िला पुलिस अधिक्षकों और जी.आर.पी. पुलिस अधिक्षकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पुलिस लगातार महिलाओं को मिस्ड कॉल करके परेशान करने के मामलों में जांच करे और उन्हें अत्यंत गंभीरता से ले।

पांडे के अनुसार – "किसी महिला को लगातार मिस्ड कॉल देना एक गंभीर समस्या है। इससे उन्हें असुरक्षा का आभास होता है और उनके मन की शांति भंग हो जाती है। हमने इसे भा.द.सं. की धारा ३५४घ(i) और (ii) के अंतर्गत 'स्टॉकिंग' का अपराध मानने का निर्णय लिया है।"

हालांकि, इस प्रावधान को दुरुपयोग से बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों को उन मामलों को नज़रअंदाज़ करने को कहा गया है जहां एक–दो बार मिस्ड कॉल आई हो, लेकिन यदि ऐसा बार–बार हो रहा हो और महिला को तंग करने की नीयत से किया जा रहा हो तो उन मामलों की जांच आवश्यक रूप से करने का निर्देश दिया गया है।

मिस्ड कॉल के मामलों में सख़्त कार्यवाही करने का आईडिया राज्य के महिला थानों के थाना प्रभारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला और सी.आई.डी. द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति जागरूकता शिविर के दौरान उभरा था।

इसमें कोई दो राय नहीं की किसी भी महिला को यदि लगातार मिस्ड कॉल किया जाए तो उसके जीवन की शांति भंग हो जाएगी और वह शायद आवश्यक फ़ोन कॉल को भी जवाब देने में डरने लगे। इसलिए, बिहार पुलिस का, इस हरकत को स्टॉकिंग जैसे अपराध के अधीन लाना एक उचित और सराहनीय कदम है।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ़ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २४ सितंबर २०१४)

दिल्ली पुलिस – जी.पी.एस. बाईक से सड़कों की निगरानी

दिल्ली पुलिस ने, उत्तरी दिल्ली में गलियों और सड़कों पर होने वाले अपराधों जैसे चेन खींचना और लूट के मामलों को नियंत्रण करने के लिए, सितंबर के अंतिम सप्ताह में, स्ट्रीट पेट्रोलिंग के लिए ३० जी.पी.एस. फिट मोटरबाईकें लॉंच की हैं। इसके लिए इंटरनेट पर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है।

प्रत्येक मोटरसाईकल की गतिविधियों की निगरानी एस.एच.ओ. और उससे वरिष्ठ पर्यवेक्षी अधिकारी कर सकेंगे। डी.सी.पी. (उत्तर) मधुर वर्मा ने कहा, "इसके लिए पोर्टल खोलना होता है और उसके बाद पासवर्ड डालकर यह देखना होता है कि पेट्रोलिंग कहां पर है। प्रत्येक बाईक को 'जीओ फेंसिंग'(geo-fencing) की एक नई अवधारणा के आधार के पर एक निश्चित क्षेत्र दिया गया है, जहां यदि कोई बाईक अपने निश्चित क्षेत्र से कहीं और जाएगी तो, जी.पी.एस. उपकरण के द्वारा एस.एच.ओ. और ए.सी.पी. के पास एक एस.एम.एस. भेजा जाएगा और वह पूछ सकते हैं कि पेट्रोलिंग बाईक कहां और क्या कर रही है।"

इस व्यवस्था को पूर्वी और उत्तरी पूर्वी ज़िलों में सफ़लतापूर्वक कार्यान्वित कर लिया गया है। ऐसा अवलोकन किया गया था कि घनी आबादी वाले और गलियों वाले क्षेत्रों में सुबह सवेरे और देर शाम को छीनने, लूटने और दूसरे सड़क पर होने वाले अपराध किये जाते हैं।

ऐसे स्ट्रीट क्राईम्स का विस्तृत मूल्यांकन किया गया और गिरफ़्तार किये गये स्नैचरों के प्रोफाईल को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने पर पाया गया कि इसमें यह लोग अपने शिकारी की प्रतीक्षा कई बार घंटों तक करते हैं। और अपना काम शुरू करने के पहले यह उस क्षेत्र पर अच्छी तरह नज़र बना कर रखते हैं।

इस प्रकार इस अध्ययन से यह मालूम हो गया था कि यह स्नैचर अधिकतर बाईक पर ही आते हैं और पेट्रोलिंग अगर वैज्ञानिक तरीके से और ईमानदारी से की जाए तो इन्हें अपना काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसी विचार से जी.पी.एस. बाईकों को लॉन्च किया गया था।

दिल्ली पुलिस के इस प्रयोग को, जिसे सफ़ल कहा जा रहा है अब बाकी के ज़िलों में भी कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। क्योंकि, यदि उत्तरी पूर्व जैसे ज़िलों में जहां घनी आबादी है यह प्रयोग सफ़ल है तो अन्य ज़िलों में भी इसके साकारात्मक परिणाम ही आएंगे। अंततः जनता को 'स्ट्रीट क्राईम्स' से छुटकारा मिलेगा।

(टाईम्स ऑफ़ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २५ सितंबर २०१४)

सभी थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य पूरा हो!

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का आदेश दिया है और इस काम को पूरा करने के लिए ३१ दिसंबर तक की समय सीमा निश्चित की है।

अदालत ने यह निर्देश 'जागेगा र गुजरात' संस्था द्वारा दायर किये गये एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया जिसमें हिरासत में होने वाले प्रताड़ना को रोकने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने पहले ८ नवंबर २०१२ को इन कैमरों के लगाने का निर्देश दिया था और अधिकारी इस पर काम करने लगे थे।

कुछ थानों में ४-६ कैमरे लगाने के बाद, सरकार ने सभी थानों में ८ कैमरे लगाने का निर्णय लिया और योजना में इस परिवर्तन के कारण अदालत से काम पूरा करने के लिए और समय मांगा था। जुलाई में सरकार ने उच्च न्यायालय को इस परिवर्तन के बारे में सूचित किया और रात को दिखने वाले और बेहतर रिज़ोल्यूशन वाले कैमरों के लिए निविदा जारी किया।

इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, वकील ने एक न्यूज़ रिपोर्ट का उद्धरण भी किया था और बताया था कि शहर के अपराध शाखा के इंस्पेक्टर परेश सोलंकी ने किस प्रकार गायकवाड़ हवेली में डी.सी.बी. अपराध के मुख्यालय में, एक व्यापारी की हवालात में पिटाई की थी और केवल इतना ही नहीं इस केस में पुलिस ने लुटेरों जैसा काम किया था, फिरौती मांगी थी। वकील ने अदालत से यह भी कहा था कि कई मामलों में पुलिस सिविल झगड़ों को आपराधिक शिकायत बना देती है।

निःसंदेह ही थानों में यदि शिकायत कक्ष में, हवालात के आस–पास एंव रिसेप्शन तथा महिला डेस्क को कवर करने के लिए कैमरे लगा दिये जाएं तो बहुत हद तक जनता को शिकायत न दर्ज करने और पुलिस द्वारा प्रताड़ना से राहत मिलेगी।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ़ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २६ सितंबर २०१४)

तेलंगाना – पुलिसिंग की नई राह पर!

तेलंगाना पुलिस अब सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट पर भी जनता की शिकायतें प्राप्त करेगी। इस प्रकार, देश में इस विशिष्ट पहल की शुरुआत तेलंगाना से की गई है।

इसके अनुसार कुछ ही दिनों में, राज्य के सभी थानों का फेसबुक पर एक आधिकारिक पेज होगा। हैदराबाद और साईबराबाद के अंतर्गत डी.सी.पी. स्तर के अधिकारी का दायित्व होगा कि वह थानों के इस पेज को मॉनिटर करे। जबकि, राज्य भर में दूसरे ज़िलों के थानों के फेसबुक पेज की निगरानी ज़िला अधिक्षक द्वारा की जएगी।

राज्य के डी.जी.पी. श्री अनुराग शर्मा ने हैदराबाद और साईबराबाद के पुलिस कमिश्नरों से इस व्यवस्था को पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में लागू करने को कहा है। हैदराबाद शहर में ६० थाने हैं और सभी का अपना एक फेसबुक पेज होगा। थाना अध्यक्ष लोगों द्वारा भेजी गई शिकायतों को प्राप्त करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। संबंधित ए.सी.पी., जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए निरीक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। अगर शिकायतकर्ता को इंस्पेक्टर या ए.सी.पी. से कोई उचित जवाब न प्राप्त हो तो, वह फेसबुक पेज के द्वारा ही सीधे डी.सी.पी. से संपर्क कर सकता है और इस विषय को उनकी दृष्टि में ला सकता है।

एक ओर जहां कमिश्नरी की तकनीकी टीम थानों के लिए फेसबुक आई.डी. और पासवर्ड बनाने के काम पर लगाई गई है, वहीं पुलिस जनता में इस बात की जागरूकता भी फैलाने का प्रयत्न कर रही है कि वह इस पेज पर वे असभ्य, अश्लील और अप्रासांगिक मैसेज डालकर नियमों का उल्लंघन न करें। अगर इस पेज पर किसी को भी ऐसे मैसेज पोस्ट करता हुआ पाया गया तो पुलिस सूचना तकनीक कानून के अंतर्गत उस पर सख़्त कार्यवाही करने में भी संकोच नहीं करेगी।

इसके अलावा, तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य के पुलिस विभाग को पूरी तरह बदलने की सिफ़ारिश एक सरकारी समिति ने की थी जिसमें बेहतर अवसंरचना, सभी थानों में महिला डेस्क, महिलाओं पर बढ़ते हुए प्रहारों को देखने के लिए व्यवसायिक काउंसलर और अधिक पुलिसकर्मी की भी सिफ़ारिश की है। साथ ही, अगर पुलिस बल में यदि महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण को कार्यान्वित करना है तो बल को अधिक महिलाओं की ज़रूरत है।

सरकार को थानों के पुनर्निर्माण के लिए तथा दिल्ली पुलिस की तरह महिला सुरक्षा और पेट्रोलिंग टीम गठित करने के लिए करोड़ों रुपयों की ज़रूरत होगी। पुलिस विभाग के संपूर्ण पुनर्निर्माण के लिए कुल २,००० करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी और यह नकद की कमी वाले राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।

तेलंगाना जैसे नये राज्य के लिए प्रारंभ से ही मज़बूत और आधुनिक तकनीक से लैस पुलिस व्यवस्था का निर्माण राज्य के सर्वांगीण विकास में भी सहायक होगा। पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए यदि आवश्यक हो तो, केन्द्र द्वारा विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।

(सौजन्य : न्यू इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, २९ सितंबर २०१४ तथा टाईम्स ऑफ़ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ७ अक्टूबर २०१४)

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, चौथी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली–११००१६, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००ए फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईटः http//www.humanrightsinitiative.org